उपराष्ट्रपति Vice President

↳ यह अपने पद के लिए कोई कार्य नही करता है, इसलिए यह पद अवैतनिक है।

↳ इसे राज्य सभा के सभापति के रूप मे वेतन प्रदान किया जाता है।

अनु० 63 :- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। (USA)

अनु० 64 :- यह राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।

अनु० 66-III :- योग्यता :

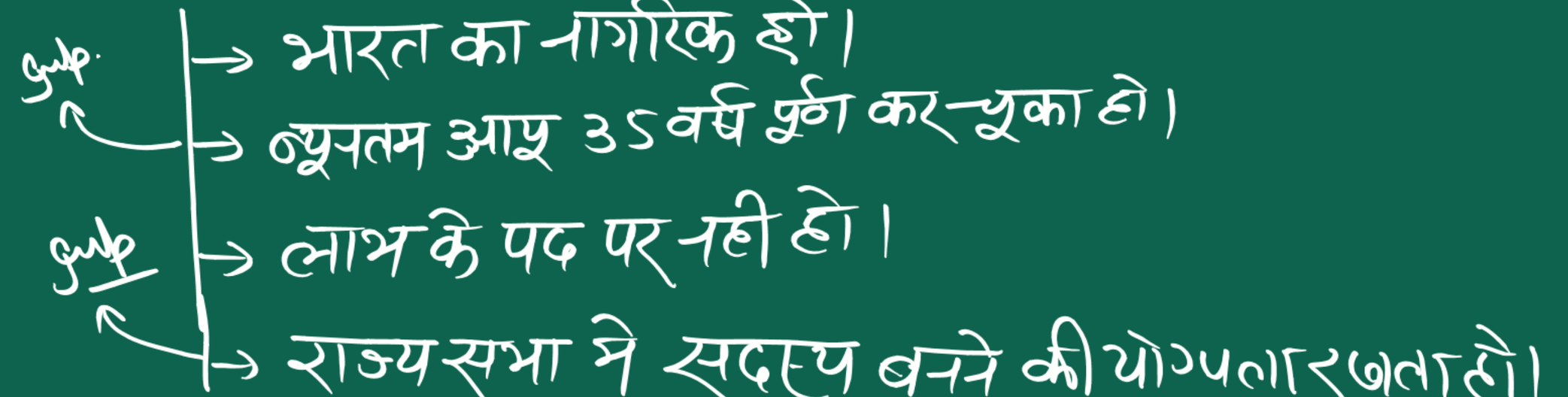

- → भारत का नागरिक हो। (Imp.)
- → न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो।
- → लाभ के पद पर नही हो। (Imp.)
- → राज्यसभा मे सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

अनु० 66 :- ① इसको मतदान संसद के दोनो सदनों के सभी सदस्य करेंगे।

② हस्ताक्षरित एकलमत, आनुपातिक एकलमत, प्रतिनिधित्व प्रणाली।

अनु-67 कार्यकाल :-

- → शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक
  - ↳ राष्ट्रपति दिलाता है।
- → उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा।
- → साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर दोनो सदनों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर पद से हटा सकते है।

"पद से हटाने की प्रक्रिया का आरम्भ राज्यसभा से अनिवार्य रूप से किया जायेगा।"

साधारण बहुमत
↳ (1/2+1) अधिकमत

विशेष बहुमत - 2/3 सदस्य
उपस्थित सदस्य

(1/2+1)

बहुमत - संसद + राज्यों के विधानसभा

कार्यवाहक राष्ट्रपति के पास वेतन व भत्ते व शक्तियाँ राष्ट्रपति के होंगे।

कार्य :-

① यह राज्य सभा का पिठासीन होता है।
↳ सब कुछ निपेक्ष मे

② यह राष्ट्रपति के अनुपस्थिति मे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करता है। → अनु० 65

③ यह उपराष्ट्रपति के रूप मे शपथ ग्रहण करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप मे शपथ ग्रहण नही करता है।

Note :- ① राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बंधित विवाद को उच्चतम न्यायालय निर्णय लेगा- अनु-71

II:- V. V. गिरी → जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद तथा
V D जत्ति — फकरुद्दिन अली अहमद के मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।

↳ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति - सर्वपल्ली राधा कृष्णन।

↳ सबसे लम्बे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति :- सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अन्सारी

संघ का मंत्रिपरिषद

अनु० 74: राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा।

↳ 42 वां C.A.A.-1976 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा।

↳ 44 वाँ CAA-1978 के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन मे वापस भेज सकेगा।

अनु० 75:- मंत्री परिषद का गठन या विस्तार :-

↳ लोकसभा मे बहुमत दल का नेता ही भारत का प्रधान मंत्री होगा।
जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा,
अन्य मंत्रीयों की नियुक्ति प्रधान मंत्री के सलाहपर राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।

↳ यदि किसी भी दल को बहुमत नही मील रहा हो, तो राष्ट्रपति स्वयं उम्मीदवार चुनकर बहुमत सिद्ध करने का मौका प्रदान कर सकेगा। — त्रिशंकु की सरकार :

योग्यता